

उत्तर प्रदेश शासन
व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग
संख्या-20 /2019/1043/89-व्या0शि0 एवं कौ0वि0वि0-2019-2(49)/2013
लखनऊ, दिनांक: 24 अप्रैल, 2019

शुद्धि-पत्र

शासन के कार्यालय आदेश संख्या-993/89-व्या0शि0-2019-2(49)2013 दिनांक 11.04.2019 द्वारा उ0प्र0 प्रशिक्षण सेवा सम्वर्ग श्रेणी-1 के अधिकारी श्री विनय श्रीवास्तव को 26 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरान्त ए0सी0पी0 की व्यवस्थान्तर्गत तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन की स्वीकृत प्रदान की गई है।

उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11 अप्रैल,2019 में वर्णित कालम-10 में 26 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय ए0सी0पी0 के रूप में रू0 8700/- की ग्रेड पे की अनुमन्यता निर्धारित की गई है परन्तु ऑनलाइन जारी किये गये कार्यालय आदेश संख्या-18/2019/993/89-व्या0शि0 एवं कौ0वि0वि0-2019-2(49)/2013, दिनांक 11.04.2019 में उक्त रू0 8700/- की ग्रेड पे की अनुमन्यता के स्थान पर ग्रेड पे रू0 87000/- अंकित हो गया है। अतः टंककीय त्रुटि को एतद्वारा संशोधित करते हुए रू0 8700/- किया जाता है।

अतः ऑनलाइन जारी किये गये उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 11.04.2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा व पढ़ा जाए।

(मनमोहन चौधरी)
विशेष सचिव

संख्या तद्विनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, उ0प्र0 शासन।
4. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
5. संबंधित कोषागार, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन।
7. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रवली में रखे जाने हेतु (नाम से)।
8. संबंधित अधिकारी (नाम से)।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(डॉ0 संदीप परमार)
अनुसचिव।